रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 948]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2015/वैशाख 17, 1937

No. 948]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2015 /VAISAKHA 17, 1937

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2015

का.आ. 1221(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 27 जनवरी, 2014 में प्रकाशित भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.266(अ.) तारीख 27 जनवरी, 2014 के द्वारा, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, विद्युत ट्रांसफॉर्मर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2014 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -
 - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत ट्रांसफॉर्मर (गुणवत्ता नियन्त्रण) आदेश, 2015 है।
 - (2) यह आदेश 01 अगस्त, 2015 से प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं- इस आदेश में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - 1. (क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;
 - (ख) "समुचित प्राधिकारी" से-
 - (i) कोई ऐसा अधिकारी, जिसका स्तर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम् मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो
 - (ii) राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धक, और
 - (iii) राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों के उद्योगों के निदेशक या आयुक्त; अभिप्रेत है;
 - (iv) शीर्ष प्रमाणन-भारत मानक ब्यूरो, नई दिल्ली।
 - (ग) "विद्युत ट्रांसफॉर्मर" से अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट मदें अभिष्रेत हैं;
 - (घ) "व्यौवहारी" से विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में, कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कोई कम्पनी या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा ऐसे विद्युत ट्रांसफॉर्मरों का नकद में या आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारोबार करता है;
 - (ङ) "विनिर्माता" से विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कोई कम्पनी या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जो ऐसे विद्युत ट्रांसफॉर्मरों का उत्पादन, निर्माण, समंजन, विनिर्माण करता है तथा जिसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कोई कम्पनी या सहकारी सोसाइटी भी है जो ऐसे व्यक्ति या फर्म या

हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कंपनी या सहकारी सोसाइटी, यथास्थिति द्वारा ऐसे विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के उत्पादन, निर्माण, समंजन या विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।

- (च) "अनुसूची" से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (छ) "विनिर्दिष्ट मानक" से विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय मानक अभिप्रेत है;
- (ज) "भा. व्या. व. (स प्रा) कोड" से विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली) कोड अभिप्रेत है;
- (झ) "राज्य सरकार" से संघ राज्य-क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है।
- 2. सभी अन्य शब्दों या पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस आदेश में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में हैं।
- विनिर्माण, भण्डारण, बिक्री और वितरण आदि के बारे में निषेध;
 - (1) कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किसी विद्युत ट्रांसफॉर्मर का बिक्री के लिए विनिर्माण या बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा, जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिहन अनुक्रप्ति प्राप्त करने के बाद ब्यूरो का मानक चिहन न लगा हो:

परन्तु निर्यात के लिए अपेक्षित विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में, इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुरूप हो। सुनिश्चित निर्यात आदेश के लिए इसके साथ समुचित दस्तावेज संलग्न होने चाहिएँ।

- (2) अव-मानक या दोषपूर्ण विद्युत ट्रांसफॉर्मरों, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हों, को ब्यूरो द्वारा किए गए परीक्षण और निरीक्षण स्कीम के अनुसार स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा।
- 4. प्रमाणन के लिए बाध्यता- (1) विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के सभी विनिर्माता इस आदेश के लागू होने की तारीख से छह मास की अविध के भीतर मानक चिहन के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए, यदि पहले प्राप्त नहीं किया हो, ब्यूरो को आवेदन करेंगे।

(2) ब्यूरो-

- (क) भारतीय मानक अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार मानक चिह्न के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।
- (ख) किसी मानक उद्योग की किसी वस्तु या प्रक्रिया, जो भारतीय मानक के अनुरूप हो, को अधिसूचित करेगा।
- (ग) ऐसी वस्तु या प्रक्रिया हेतु अनिवार्य अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिहन के उपयोग का निदेश देगा।
- (3) कोई व्यक्ति ब्यूरो से विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट विद्युत ट्रांसफॉर्मरों का विनिर्माण करना प्रारंभ नहीं करेगा।
- (4) ब्यूरो एक या अधिक विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के लिए किसी भी अनुज्ञप्ति के समाप्त होने या रद्द होने की सूचना समुचित प्राधिकारी को देगा।

सूचना आदि मांगने के लिए शक्ति:

- 1. समुचित प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से,-
- (क) किसी विद्युत ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री या वितरण में लगे किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने के लिए बुला सकता है जिसको वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी विद्युत ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे या किसी ऐसे विद्युत ट्रांसफॉर्मर के नमूने प्रस्तुत करने के लिए ऐसा व्यक्ति अपेक्षित हो;
- (ख) किसी विद्युत ट्रांसफॉर्मर की बिक्री के लिए विनिर्माण, भण्डारण, बिक्री या वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए या उससे संबंधित या उसके अधिकार में या नियन्त्रण के अधीन किसी बही या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा;
- (ग) किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है या तलाशी ले सकता है तथा किसी विद्युत ट्रांसफॉर्मर का अधिग्रहण कर सकता है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है या उक्त विद्युत ट्रांसफॉर्मर विनिर्दिष्ट मानक का नहीं है;
- (घ) कोई भी विनिर्माता या व्यौवहारी कोई सूचना देने से मना नहीं करेगा या उसके कब्जे या उसके नियंत्रण में रखी किसी बही, दस्तावेज या विद्युत ट्रांसफॉर्मर को छिपाएगा, नष्ट करेगा, विकृत या विरुपित नहीं करेगा।
- (2) तलाशी और अधिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक संभव हो सके, इस खंड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।
- 6. नमूनों का परीक्षण: मानक चिह्न लगे और समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानक की अनुरुपता सुनिश्चित करने के लिए किसी विद्युत ट्रांसफॉर्मर के नमूने का ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में संगत भारतीय मानक में यथाविनिर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।

- 7. विनिर्माताओं और व्यौवहारियों को निदेश जारी करने की शक्तिः समुचित प्राधिकारी विनिर्माताओं और व्यौवहारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के संगत, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो यथास्थिति अधिनियम या इस आदेश के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।
- 8. निदेशों का अनुपालन: अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विद्युत ट्रांसफार्मर की बिक्री के लिए विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री या वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया गया हो, ऐसे निदेश का पालन करेगा।

अनुसूचा [कृपया पैरा 2 (च) देखें]

भारतीय मानक ब्यूरो के आज्ञापक प्रमाणन के अधीन विद्युत ट्रांसफॉर्मरों की सूची

क्र.सं.	भारतीय मानक संख्या (नवीनतम विवरण)	शीर्षक	आईटीसी (एच एस) कोड
1	भा.मा. 1180 (भाग-1): 2014	बाह्य प्रकार के तेल में डूबे हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स तक और 2500 केवीए, 33 केवी सहित – विनिर्दिष्टियाँ भाग 1 खनिज तेल में डूबे हुए	85043100 85043200 85043300 85043400
		(क) गैर-मुहर बंद और मुहर बंद, दोनों प्रकार के 200 केवीए सहित और इस क्षमता तक तीन-चरण रेटिंग।	
		(ख) गैर-मुहर बंद और मुहर बंद, दोनों प्रकार के 200 केवीए से अधिक क्षमता तक और 2500 केवीए सहित तीन-चरण रेटिंग।	
		(ग) मुहर बंद प्रकार के 25 केवीए सहित और इस क्षमता तक एकल-चरण रेटिंग।	

[फा.सं. 5(2)/2009-पीई-XI (खंड II)] राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES ORDER

New Delhi, the 7th May, 2015

S.O.1221 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), and in supersession of the Electrical Transformers (Quality Control) Order, 2014, vide Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises' notification number. S.O. 266(E) dated 27th January, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 27th January, 2014, except as respects things done or omitted, to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:—

- 1. Short title and commencement. (1) This Order may be called the Electrical Transformers (Quality Control) Order, 2015.
 - (2) This Order shall come into force with effect from 1st day of August, 2015.
- 2. Definitions- In this Order, unless the context otherwise requires, -
- (1) (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - (b) "Appropriate authority" means, -
 - (i) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises;
 - (ii) General Managers, District Industries Centres of State Governments; and
 - (iii) Directors or Commissioners of Industries of the State Governments or Union territories; and
 - (iv) Head Certification- Bureau of Indian Standards, New Delhi;
 - (c) "electrical Transformers" mean the items specified in column (3) of the Schedule;
 - (d) "dealer" in relation to electrical Transformers, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying and distributing electrical Transformers whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

- (e) "manufacturer" in relation to electrical Transformers, means a person who or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which produces, makes, assembles, manufactures electrical Transformers and includes a person who, or such firm, Hindu undivided family, a company or co-operative society which claims such electrical Transformers to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family or company or cooperative society, as the case may be;
- (f) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;

(g) "Specified standard" in relation to electrical Transformers means the Indian Standard as specified in the corresponding entry in column (2) of the Schedule;

h) "ITC (HS) Code" in relation to electrical Transformers means the Indian Trade Classification (Harmonised Systems) Codes as specified in the corresponding entry in column (4) of the Schedule;

(i) "State Government" in relation to a Union territory, means the Administrator thereof.

(2) All other words and expressions used but not defined in this order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale, distribution etc.-

(1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any electrical Transformers specified in column (3) of the Schedule, which do not conform to the specified standards and do not bear Standard Mark of the Bureau, on obtaining certification marks licence:

provided that nothing in this Order shall apply in relation to electrical Transformers required for export conforming to specifications required by the foreign buyer. This should be supported by proper documentation for confirmed export order.

- (2) The sub-standard or defective electrical Transformers, which do not conform to the specified standard, shall be disposed of as scrap as per the scheme of testing and inspection made by the Bureau.
- 4. Obligation for certification.- (1) All manufacturers of electrical Transformers shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark, within a period of six months from the date of coming into force of this Order, if not already obtained.
 - (2) The Bureau shall -
 - (a) grant licence for use of the Standard Mark as per the provisions of the Bureau of Indian Standard Act, 1986 and the rules and regulations made thereunder.
 - (b) notify any article or process of any standard industry which shall conform to the Indian Standard.
 - (c) direct the use of Standard mark under a licence as compulsory on such article or process.
 - (3) No person shall commence manufacture of electrical Transformers specified in column.
 - (3) of the Schedule, without obtaining a valid licence from the Bureau.
 - (4) Bureau shall inform to the appropriate authority of the expiry of any licence or cancellation thereof for one or more of the electrical Transformers.
- 5. Power to call for information, etc.- (1) The appropriate authority may, with a view to securing compliance with this Order,-
 - (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any electrical Transformers to give such information as he or she deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any Electrical Transformers for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such electrical Transformer;

(b) inspect or cause to be inspected any book or other document kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale,

sale or distribution of any electrical Transformers;

(c) enter and search any premises and seize any electrical Transformer in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said electrical Transformer is not of the specified Standard;

(d) No manufacturer or dealer shall, refuse to furnish any information or conceal, destroy, mutilate or deface any book, document or electrical Transformers kept in his possession or under his control.

- (2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.
- 6. Testing of samples. Sample of any electrical Transformer bearing the Standard Mark and drawn by the appropriate authority, for ascertaining whether it conforms to the specified standard, shall be tested as per the relevant Indian Standard in the laboratory approved by the Bureau and as specified in the relevant Indian Standard.
- 7. Power to issue directions to manufacturers and dealers. The appropriate authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary, for carrying out the provisions of this Order.
- 8. Compliance of directions.- Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any Electrical Transformers specified in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.

SCHEDULE

[See paragraph 2(f)]
of Electrical Transformers under mandatory Bureau of Indian Standards certification

Sl. No.	Indian Standard number (Latest version)	Title	ITC (HS) Code
1.		Outdoor type oil immersed Distribution Transformers upto and including 2500 kVA, 33kV- specification Part 1 Mineral oil immersed	85043100 85043200 85043300 85043400
	IS 1180(Part 1):2014	 (a) Three-phase ratings upto and including 200 kVA both Non-sealed type and sealed type. (b) Three phase ratings higher than 200 kVA upto and including 2500 kVA both non-sealed type and sealed type. 	
		(c) Single phase ratings upto and including 25 kVA sealed type.	

[F. No. 5(2)/2009-PE.XI (Vol.II)],

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.